

महाराष्ट्र शासन

क्र. अधापु- २०१४/ प्र.क्र. ६३/ना.पु.-२२
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- २२ जुलै, २०१४

प्रति,

- १) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे)
- २) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई.
- ३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी (सर्व जिल्हे),
- ४) अन्नधान्य वितरण अधिकारी (पुणे, नागपूर, सोलापूर),

विषय :- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न होणा-या परंतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये लाभ मिळत असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी माहे जुलै, २०१४ करीता वितरित करावयाच्या अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) नियतन.

संदर्भ :- केंद्र शासनाचे क्र. २/ महाराष्ट्र/२०१४-बीपी-III, दि. २६/०६/२०१४ चे पत्र.

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. २६.०६.२०१४ च्या पत्रान्वये ३६५५० मे. टन गहू व २९९०० मे. टन तांदळाचे प्रतिमाह अतिरिक्त नियतन Economic cost च्या दराने मंजूर केलेले आहे. केंद्र शासनाच्या सदर दि.२६.०६.२०१४ च्या पत्रान्वये मंजूर केलेल्या नियतनाच्या मर्यादेत राज्यातील जिल्ह्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न होणा-या परंतु यापूर्वी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये लाभ मिळत असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी माहे जुलै, २०१४ करीता गव्हाचे व तांदळाचे नियतन याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हानिहाय नियतनाचा तपशिल सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या नियतनानुसार गव्हाची व तांदळाची उचल करण्यात यावी व पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे.

२. केंद्र शासनाच्या सदर संदर्भाधीन पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार माहे जुलै, २०१४ च्या नियतनाच्या उचलीसाठी व अन्नधान्याची रक्कम जमा करण्यासाठी केंद्रशासनाच्या पत्राच्या दिनांकापासून (दि. २६.०६.२०१४ पासून) ५० दिवसांचा कालावधी राहिल. अंतिम दिनांकाची वाट न पाहता विहित मुदतीत रक्कम जमा करून, नियतनानुसार संपूर्ण गव्हाची व तांदळाची यापूर्वी समक्रमांकाच्या दि. १५ मे, २०१४ व दि. २१.०५.२०१४ च्या पत्रात नमूद केलेल्या Economic cost ने उचल करून रु. ७.२०/- प्रतिकिलो दराने गहू व रु ९.६०/- प्रतिकिलो दराने तांदूळ निश्चित केलेल्या परिमाणात (१५ किलो प्रति शिधापत्रिका) पात्र लाभार्थ्यांना वाटप होईल याची दक्षता घ्यावी.

३. शासनाचे सदर नियतन मंजूरीचे आदेश ई-मेलद्वारे व उपआयुक्त (पुरवठा) यांना फॅक्स व ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. नियतन मंजूरीचे आदेश प्राप्त न झाल्यामुळे धान्याची विहित मुदतीत उचल करता आली नाही व त्यामुळे नियतन व्यपगत झाले, ही सबब विचारात घेतली जाणार नाही व याबाबत संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.


४. अन्न महामंडळाच्या गोदामातून गहू व तांदूळ स्विकारताना शासनाच्या निर्देशानुसार संयुक्तपणे नमुने घेऊन धान्याचा दर्जा तपासून तो समाधानकारक असल्याची खात्री करूनच धान्याची उचल करण्यात यावी. यासंबंधी शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

५. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश, २००१ मधील तरतूदीनुसार "उपयोगिता प्रमाणपत्र" नियमितपणे सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार माहे मे, २०१४ पासूनचे मासिक उपयोगिता प्रमाणपत्र त्यापुढील महिन्यापासून शिल्लक धान्याच्या व त्याच्या वापराच्या आकडेवारीसह शासनास न चुकता सादर करावे.

७. सोबतच्या विवरणपत्रांतील नियतनाच्या तक्त्यांमध्ये दर्शविलेल्या परिमाणानुसारच लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण करणे अनिवार्य आहे.

८. माहे जुलै, २०१४ करीता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न होणा-या परंतु यापूर्वी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये लाभ मिळत असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी गव्हाचा व तांदळासाठी मुक्त करण्याच्या सूचना भारतीय अन्न महामंडळास देण्यात आल्या आहेत.

९. मंजूर नियतनानुसार गव्हाची व तांदळाची उचल करून वाटप करावे व केलेल्या उचल व वाटपाची माहिती न चुकता "महाफूड" आज्ञावलीत दर आठवडयास वेळीच भरावी. तसेच नियतन, उचल व वाटप यासंबंधीची माहिती वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्याबाबत शासन स्तरावरून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.


(पांडुरंग पोले)

शासनाचे उप सचिव

सोबत:- विवरणपत्र


प्रत:-

१) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) (फॅक्सद्वारे)

त्यांना सूचित करण्यात येते की, नियतनाचे आदेश सर्व जिल्हयांना ई-मेल व पत्राद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. आपल्या विभागातील जिल्हयांना सदर आदेश प्राप्त झाले किंवा कसे याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. आपल्या विभागातील सर्व जिल्हयांमध्ये नियतनानुसार धान्याची उचल होत असल्याची व त्याबाबतची माहिती "महाफूड" आज्ञावलीत दर आठवडयास भरली जाण्याची योग्य ती दखल घ्यावी.

२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई, यांनी प्रस्तुत नियतनानुसार जिल्हयांनी केलेली उचल व वाटप याबाबतचा तपशील "महाफूड" आज्ञावलीद्वारेच प्राप्त करून घ्यावा.

३) अवर सचिव, संगणक कक्ष, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, यांनी प्रस्तुत नियतनाची प्रत विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करावी.


(पांडुरंग पोले)

शासनाचे उप सचिव

सोबत:- विवरणपत्र

प्रत :- १) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.

२) निवड नस्ती (कार्यासन, नापु-२२)

पत्र क्र. अथापु-२०१४/प्र.क्र.६३/नापु-२२, दि.२२.०७.२०१४ सोबतचे विवरणपत्र.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या लाभार्थ्यांकरिता माहे जुलै, २०१४ करीता

नियतन (से.टन)

| Sr.No. | District name | No. of cards | Quantum of rice | Quantum of wheat | Allocation of Rice | Allocation of Wheat | |
|--------|---------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | MTRRA | 11,86,819 | | 6 | 9 | 6399 | 7822 |
| 2 | Thane | 1,33,249 | | 7 | 8 | 718 | 878 |
| 3 | Raigad | 163264 | | 7 | 8 | 880 | 1076 |
| 4 | Ratnagiri | 85,507 | | 7 | 8 | 461 | 564 |
| 5 | Sindhudurg | 35,784 | | 7 | 8 | 193 | 236 |
| 6 | Nashik | 1,79,060 | | 5 | 10 | 965 | 1180 |
| 7 | Dhule | 1,08,102 | | 5 | 10 | 583 | 713 |
| 8 | Nandurbar | 84,067 | | 7 | 8 | 453 | 554 |
| 9 | Jalgaon | 2,47,063 | | 5 | 10 | 1332 | 1628 |
| 10 | Ahmadnagar | 1,01,784 | | 5 | 10 | 549 | 671 |
| 11 | Pune | 5,98,575 | | 5 | 10 | 3227 | 3945 |
| 13 | Sangli | 79,235 | | 5 | 10 | 427 | 522 |
| 14 | Satara | 1,29,899 | | 5 | 10 | 700 | 856 |
| 15 | Solapur | 2,27,537 | | 5 | 10 | 1227 | 1500 |
| 17 | Kolhapur | 1,55,477 | | 5 | 10 | 838 | 1025 |
| 18 | Aurangabad | 3,10,846 | | 5 | 10 | 1676 | 2049 |
| 19 | Nanded | 1,32,034 | | 5 | 10 | 712 | 870 |
| 20 | Hingoli | 76,775 | | 5 | 10 | 414 | 506 |
| 21 | Latur | 79,294 | | 5 | 10 | 427 | 523 |
| 22 | Jalna | 37,424 | | 5 | 10 | 202 | 247 |
| 23 | Osmanabad | 1,16,886 | | 5 | 10 | 630 | 770 |
| 24 | Beed | 1,23,677 | | 5 | 10 | 667 | 815 |
| 25 | Parbhani | 1,15,589 | | 5 | 10 | 623 | 762 |
| 26 | Amravati | 1,46,793 | | 5 | 10 | 791 | 968 |
| 27 | Akola | 73,253 | | 5 | 10 | 395 | 483 |
| 28 | Washim | 64,471 | | 5 | 10 | 348 | 425 |
| 29 | Yavatmal | 28,338 | | 5 | 10 | 153 | 187 |
| 30 | Buldana | 86,490 | | 5 | 10 | 466 | 570 |
| 32 | Nagpur | 3,74,189 | | 5 | 10 | 2019 | 2466 |
| 33 | Wardha | 60,534 | | 5 | 10 | 326 | 399 |
| 34 | Bhandara | 54,500 | | 5 | 10 | 294 | 359 |
| 35 | Gondiya | 68,011 | | 5 | 10 | 367 | 448 |
| 36 | Chandrapur | 59,654 | | 5 | 10 | 323 | 393 |
| 37 | Gadchiroli | 21,118 | | 7 | 8 | 115 | 140 |
| Total | | 55,45,298 | | | | 29,900 | 36550 |

Government of Maharashtra

No.- Adhapu-2014/C.R.63/CS-22,
Food, Civil Supplies & Consumer
Protection Department, Madam Cama
Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralay Annex, Mumbai-400 032
Date :- 22nd July, 2014

To,

The General Manager (Mah),
Food Corporation of India,
Regional Office (Maharashtra),
FSD Complex,
Dattapada Road, Rajendra Nagar,
Borivali (E), Mumbai- 400 066.

**Sub :- Monthly Allocation of Food grains for beneficiaries not included
in NFSA, 2013 for the month of July, 2014.**


**Ref :- 1) Govt. of India letter No. 2/Maharashtra/2014.BP.III Dt.26.06.2014.
2) State Govt. letter No. Adhapu-2014/C.R.63/CS-22 Dt. 22.07.2014.**

Sir,

Government of India vide its above referred letter dated 26.06.2014 has sanctioned additional allocation of 36550 tons of wheat and 29900 tons of rice at economic cost. Accordingly State Government has issued district wise allocation order for the beneficiaries which are not included in National Food Security Act, 2013 for the month of July, 2014 vide above referred letter dated 22.07.2014 (copy enclosed).

The validity period for deposit of cost and lifting of the above allocation will be 50 days from the date of issue of Govt. of India letter. You are therefore requested to release the allocated quota to the nominees of District Collectors and Controller of Rationing, Director, Civil Supplies, Mumbai as per the statement attached under intimation to this Government.

Yours faithfully,


(Pandurang Pole)
Deputy Secretary to the Government

Copy to: 1) Financial Advisor & Deputy Secretary, F.C.S & C.P. Dept, Mumbai.
2) Select file, Desk CS-22